इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379] भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 अगस्त 2012—भाद्र 5, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. 5902-269-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ४ सन् २०१२.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१२.

''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक २७ अगस्त, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१२ है.

(२) यह २७ अगस्त, २०१२ को प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् २००७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७, सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुये प्रभावी होगा.

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक ९ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
''१०.	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय सिरोंज, जिला विदिशा.	टेक्नो इंडिया ट्रस्ट, कोलकाता	भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय सिरोंज, जिला विदिशा (म. प्र.)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''.

भोपाल :

तारीख २५ अगस्त, २०१२.

राम नरेश यादव

राज्यपाल,

मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. 5903-269-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 4 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHYADESH, 2012.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th August, 2012.]

Promulgated by the Governor in the Sixty-third year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2012.

(2) It shall come into force on the 27th day of August, 2012.

Madhya Pradesh Act No. 17 of 2007 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section 3.

Amendment of Schedule.

3. In Schedule to the Principal Act, after serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S. No. (1)	Name of Private University (2)	Name of sponsoring body (3)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main Campus (5)	Jurisdiction (6)
"10.	Techno Global University Sironj, District Vidisha.	Techno India Trust, Kolkata	Public Trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (No. 2 of 1882)	Techno Global University Sironj, District Vidisha (M. P.)	Whole of Madhya Pradesh".

Bhopal :
Dated, the 25th August, 2012.

RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.